माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website- msuniversity.ac.in e-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 2916 /एन0एस0एस0/एम.एस.यू./2022–23 दिनांक: 01/04/2023

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक
राष्ट्रीय सेवा योजना
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान के मानक (ब्रेक–अप) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–28/सत्तर–रा0से0यो0को0–2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिन महाविद्यालयों के द्वारा रा0से0यो0 की इकाईयों का संचालन किया जा रहा है, से अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों द्वारा अनुदान राशि को निम्नवत् मदवार खर्च की जानी है–

1. राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्तर पर नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध रू0 345 प्रति छात्र की दर से उपलब्ध धनराशि निम्न सीमा तक व्यय की जाये।	60/–	(क) अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्सः–500 रूपये अधिकतम प्रतिमाह
	22/–	(ख) अंशकालिक लिपिक को मानदेय :– 185 रूपये अधिकतम प्रतिमाह
	15/–	(ग) अंशकालिक चपरासी को मानदेय :– 125 रूपये अधिकतम प्रतिमाह
	30/–	(घ) आवश्यक उपकरणों की खरीद
	30/–	(ड.) फोटो/स्टेशनरी/पोस्टेज/डाक्यूमेंटेशन (रिपोर्टिंग आदि) पर
	13/–	(च) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी के बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय पर
	80/–	(छ) नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती में एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु रू0 20/– प्रति शिविर प्रति छात्र की दर से जलपान इत्यादि।
	90/–	(ज) सरकार द्वारा देय अभियान तथा जन जागरूकता रैलियों का आयोजन, वृक्षारोपण, रक्तदान, युवा सप्ताह, पर्यावरण दिवस, मतदाता जागरूकता, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वच्छता कार्यक्रम तथा विभिन्न दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों (रा0से0यो0 दिवस, गांधी जयन्ती, योग दिवस) आदि कार्यक्रमों के बैनर, जलपान एवं अन्य संसाधन हेतु व्यय।
	5/–	(झ) आनुषांगिक व्ययों हेतु

2. आवंटित छात्र संख्या का 50 प्रतिशत छात्रों की भागीदारी विशेष शिविर कार्यक्रम में होगी। विशेष शिविर के अन्तर्गत दिन व रात मिलाकर आयोजित होने वाले सात (07) दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम पर 700 रूपये प्रति छात्र प्रति विशेष शिविर की दर से अनुदान रा0से0यो0 के स्वयंसेवियों के भोजन, आवास, यातायात एवं शिविर के अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था पर व्यय किया जाये। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विशेष शिविरों का आयोजन मात्र दिवसीय शिविर के रूप में सामान्यतः न किया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों में दिवसीय शिविर शासन की पूर्वानुमति से आयोजित किये जायें, जिसमें रू0 20/– प्रति स्वयंसेवी प्रतिदिन के दर से व्यय किया जा सकता है। रा0से0यो0 की प्रत्येक इकाई द्वारा अलग–अलग ग्राम/मलिन बस्ती का चयन/अभिग्रहण किया जाये तथा चयनित बस्ती/ग्राम की दूरी संस्था से 08 किमी से अधिक न हो। विशेष शिविर में सभी शिविरार्थियों की उपस्थिति शिविर के पहले दिन से (मध्यान्ह 12.00 बजे से) शिविर के अन्तिम दिन (सायंकाल 04.00 बजे तक) आवश्यक है। ऐसा न होने पर शिविर निरस्त किया जा सकता है। साथ ही विशेष शिविर के आयोजन की पूर्व सूचना 07 से 15 दिन पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय को रा0से0यो0 की वेबसाइट – uponlinenss.upsdc.gov.in एवं अपने कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ तथा उ0प्र0 शासन को प्रेषित करनी होगी। वेबसाइट पर प्रत्येक दिन स्वयंसेविओं की उपस्थिति एवं कार्यक्रम के छाया चित्र अपलोड करने होगें। ऐसा न होने पर विशेष शिविर का आयोजन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
3. उपरोक्त व्यय की मदों हेतु निर्धारित धनराशि उक्त मदों पर होने वाली व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा है। व्यय मितव्ययता के आधार पर किया जायेगा। उक्त मदों में बचत करके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य मदों में भी धनराशि व्यय की जा सकती है। रा0से0यो0 की एक इकाई में 01 लिपिक व 01 अनुसेवक तथा एक से अधिक इकाईयों की दशा में अधिकतम 01 लिपिक व 02 अनुसेवक से अधिक सम्बद्ध न किये जायें।
4. संस्थागत स्तर पर रा0से0यो0 के कार्यक्रमों के संचालन के लिए पृथक कार्यालय/स्टोर कक्ष तथा अन्य आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएं व फर्नीचर इत्यादि सम्बन्धित संस्था तथा उपलब्ध करायी जाये। रा0से0यो0 के मद से खरीदी गयी सामग्रियों/उपकरणों आदि के लिए उपभोग्य (कन्जूमेबल) तथा अनुपभोग्य (नान कन्जूमेबल) दो प्रकार के स्टाक रजिस्टर बनाये जायें तथा संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति के माध्यम से वर्ष में कम से कम एक बार स्टोर का भौतिक सत्यापन कराया जाये। क्रीत सामग्रियों के बाउचर इत्यादि अभिलेख संस्था/इकाई स्तर पर ही सुरक्षित रखे जायें तथा बाउचरों का सत्यापन, व्यय करने वाले सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाये। आडिट के समय रोकड़ पुस्तक सहित सभी लेखा पुस्तकें व बाउचर प्रस्तुत किये जायें। आडिट के पश्चात् लेखा पुस्तकें व बाउचर इत्यादि पुनः संस्था/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाये। संस्था से अभिप्राय विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र से है।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर/कार्यक्रम की सूचना वेबसाइट पर आयोजित करने से पूर्व दी जाये कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेविओं की उपस्थिति की सूचना एवं छाया–चित्र कार्यक्रम के दिन ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाये।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत संस्था स्तर पर अवमुक्त सम्पूर्ण अनुदान का निदेशक, स्थानीय निधि लेखा विभाग , उ0प्र0 प्रयागराज से आडिट कराये जाने हेतु 01 प्रतिशत की दर से धनराशि आडिट फीस के लिए प्रतिवर्ष राजकोष में जमा की जाये तथा प्रतिवर्ष नियमित आडिट कराया जाये।

उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 के समस्त प्रकार के बिल/बाउचर, ऑनलाईन छात्र–छात्राओं के पंजीकरण की सूची, पंजीकरण शुल्क एवं उपभोग प्रमाण–पत्र तथा विस्तृत आख्या जिसमें विशेष शिविर के आयोजन की कम से कम 21 पेज की रिर्पोट जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों को 02 पृष्ठ (7x2=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो एवं न्यूज पेपर की कटिंग (04 फोटो प्रति पृष्ठX7) व सामान्य कार्यक्रमों की रिर्पोट की हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी सहित विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे शासन को ससमय अवगत कराया जा सकें।

यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिति:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 शासन।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना